नीम कीटनाशक आदि बाज़ार में उपलब्ध हैं। भारत में कई कम्पनियों ने विभिन्न नामों से नीम के कीटनाशक बनाए। इनमें ऐज़ाडिट, बीज़ोसाल, फील्डमार्शल, मारगोसाइड-सी, मारगोसाइडि-ओ, नीमसोल, नीमगोल्ड, नीमगार्ड, नीमहिट एवं हाल ही में उत्पादित नीमता 2100 प्रमुख हैं।

वर्तमान युग में नीम के महत्व को जानकर हम भारतीयों को इसका अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के सदियों से साथी रहे इस कल्पतरू की हमें रक्षा करनी चाहिए। *(स्रोत विशेष फीचर्स)*

नीम के आधुनिक उपयोग

नीम के कई आधुनिक उपयोग ज्ञात हो चुके हैं, इनमें प्रमुख हैं :

क) चैगास रोग के उपचार में : यह रोग एक परजीवी ट्रिपनोसोमा क्रूजी द्वारा फैलता है। परजीवी रक्त चूसने के दौरान इन रोगाणुओं को शरीर में छोड़ देता है, जो फेफड़ों एवं हृदय को हानि पहुंचाते हैं। इसके उपचार में नीम में पाया जाने वाला ऐज़ाडिरेक्टीन रसायन उपयोगी सिद्ध हुआ है।

ख) मलेरिया के उपचार में : नीम में पाया जाने वाला गिड्निन नामक रसायन सम्भवतः कुनैन प्रतिरोधी मलेरिया पर कारगर हो सकता है।

ग) माईकोटॉक्सिन उत्पन्न करने की दर कम करने में : कुछ हानिकारक कवक जैसे एस्परजिलस फ्लेक्स तथा अन्य संग्रहित खाद्य पदार्थों में कवक विष उत्पन्न करते हैं। विभिन्न आधुनिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है कि नीम का विलयन इन कवकों की वृद्धि दर को नियंत्रित करता है तथा इनके द्वारा कवक विष उत्पन्न करने की दर को भी कम करता है।

पेटेंट : विधेयक और भारतीय सम्पदा

डॉ. एन. के. बौहरा

प्राचीन काल से ही भारत में वृक्षों का महत्व रहा है। भारतीय पौराणिक साहित्यों में भी वृक्षों के सामाजिक, आर्थिक एवं चिकित्सकीय महत्व का उल्लेख मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की इन चिर-परिचित अमूल्य सम्पदा के अधिग्रहण का प्रयास विश्वभर में जारी है। इस प्रयास में कुछ देशों को आंशिक सफलता भी मिली है। दरअसल भारतीय पेटेंट कानून के अशक्त होने का इन्हें दुहरा लाभ मिला है। अमरीकन कंपनियों ने एक के बाद दूसरे भारतीय पादपों का पेटेंट हड़पना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हाल ही में एक नया पादप ईसबगोल भी जुड़ गया है।

पेटेंट क्या है ?

पेटेंट प्रणाली की शुरुआत 1474 में इटली में हुई। उस समय वहां उद्योगों के नाम पर छोटे-छोटे शिल्प संघ जिन्हें गिल्ड कहते थे, हुआ करते थे। इनके कुशल मज़दूर ही उनके संयुक्त मालिक हुआ करते थे। इन उद्योगों में काम सीखने वाले शागिर्द दक्षता प्राप्त कर अपना नया संघ बना लेते थे। इस प्रकार पुराने संघों को बहुत परेशानी हुआ करती थी। इसी हेतु गिल्डों (संघों) के मालिकों ने कार्य सीखने वाले मज़दूरों को एक निश्चित अवधि तक काम करने हेतु बाध्य किया। इस प्रकार के कानून को सरकारी मान्यता द्वारा पेटेंट अधिकार कहा गया।

पेटेंट प्रणाली की शुरुआत 1474 में इटली में हुई। उस समय वहां उद्योगों के नाम पर छोटे-छोटे शिल्प संघ जिन्हें गिल्ड कहते थे, हुआ करते थे। इनके कुशल मज़दूर ही उनके संयुक्त मालिक हुआ करते थे।

परन्तु वास्तव में पेटेंट की शुरुआत इंग्लैण्ड में हुई जहां एक आविष्कारक जॉन ऑफ आटिनम (जिन्होंने रंगीन कांच का आविष्कार किया था) को महाराजा ने 20 वर्षों तक रंगीन कांच बनाने का एकाधिकार दे दिया। समय के साथ पेटेंट कानून में फेरबदल हुआ। सन् 1791 में फ्रांस में बना पेटेंट कानून खोजकर्ता के एकाधिकार को उसका प्राकृतिक अधिकार मानता था परन्तु अन्य देश इससे सहमत नहीं थे। अतः सम्पूर्ण विश्व में पेटेंट कानूनों में एकरूपता

लाने के लिए 1883 में 15 देशों ने पेरिस में एक सम्मेलन किया जिसमें खोजकर्ता को उसके अधिकार देने पर चर्चा हुई।

भारत में पेटेंट कानून इंग्लैण्ड की देखादेखी 1856 में लागू हुआ। तत्पश्चात 1872 में पेटेंट एण्ड डिज़ाइन प्रोटेक्शन एक्ट व 1883 में द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन एक्ट लागू हुए। 1911 में इंडियन पेटेंट एण्ड डिज़ाइन एक्ट जारी हुआ जो 1947 तक देश में लागू रहा। 1948 में पेटेंट कानूनों में सुधार हेतु बख्शी टेकचन्द समिति गठित की गई जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1950 में पेटेंट एण्ड डिज़ाइन बिल तैयार हुआ।

इसकी कमियों को दूर करने के लिए जस्टिस आर. आयंगर कमेटी बनाई गई तथा 1957 में एक बिल बनाया गया जिसे 1965 में लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल 1970 में पारित किया गया। इस कानून द्वारा कृषि को पेटेंट कानून में शामिल किया गया था। उत्पादन विधि के स्थान पर उत्पादित वस्तु को पेटेंट का आधार माना गया। इस कानून द्वारा कृषि, पशुपालन व दवाओं के क्षेत्र में भारतीयों को फायदा हुआ।

पेटेंट विवाद

इस विवाद की शुरुआत अमरीका की कृषि जैविक तकनीकी समाचार पत्रिका *एस बायोटेक्नोलॉजी न्यूज़* के उस समाचार से हुई जिसमें कहा गया कि एक अमरीकी रॉबर्ट लासन ने नीम के पेड़ का जैव कीटनाशक गुण पेटेंट करा लिया है। इसके अनुसार कीटनाशक उत्पाद का लाइसेंस अमरीका की डब्ल्यू. आर. ग्रे एण्ड कम्पनी को दिया गया है। इस कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी पी.जे.मार्गो प्रा. लि. के साथ तुमकुर (कर्नाटक) में कारखाना लगाकर नीम कीटनाशक को निर्यात करने की बात भी कही गई। इस प्रकार भारतीय वृक्ष की सम्पत्ति से भारत में ही तैयार कीटनाशक को निर्यात कर यह विदेशी कम्पनी धन अर्जित करेगी। इसके बाद हल्दी का पेटेंट हेरी पी. कोहली ने और इसी शृंखला में अमरीका की कैलीफोर्निया स्थित कम्पनी मिसेज़ विगलैस रॉकेट जूस कम्पनी ने ब्राह्मी का पेटेंट करा लिया। कुछ माह पूर्व बासमती चावल का पेटेंट भी अमरीका ने करा लिया जबकि हाल ही में साइलियम हस्क अर्थात ईसबगोल का भी पेटेंट अमरीकी कम्पनी प्रॉक्टर एण्ड गेम्बल ने करा लिया है। यहां गौरतलब है कि भारत ने इन तमाम पेटेंटों को चुनौती दी है। नीम के विरुद्ध दायर मुकदमा तो जीत भी लिया है।

नया पेटेंट कानून

संसद में पास हुए नए पेटेंट विधेयक में सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रावधान का दावा किया है परन्तु उसका सबसे खतरनाक पहलू है 'एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट' (ई.एम.आर.) जिसका शब्दिक अर्थ है विपणन एकाधिकार। इसके अनुसार जिस कम्पनी को ई.एम.आर. मिलेगा बाज़ार में अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने का एकाधिकार भी उसी का होगा। ई.एम.आर. पाने हेतु ज़रूरी है कि पेटेंट विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश की कम्पनी के पास हो और उसे इसे बाज़ार में बेचने की अनुमति हो। इस नए कानून से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जिन नई दवाओं पर अनुसंधान कर बाज़ार में लाएंगी उन्हें अपनी इच्छानुसार दामों में एकाधिकार से बेच सकेंगी। इसी प्रकार देशी औषधि उद्योग को भी पेटेंट कानून में लेने से उन्हें भी किसी पेटेंट औषधि हेतु विदेशी कम्पनियों को भुगतान करना पड़ेगा। जहां 1947 से 1997 के बीच देश में दवा-बाज़ार 10 करोड़ रुपए से 7000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था वहीं अब दवा बाज़ार का निर्धारण अगले 5 वर्षों में विदेशी कम्पनियों के पास होगा। इससे उर्वरक भी महंगे होंगे तथा कृषि उत्पादन भी घट सकता है।

विश्व बैंक को नाराज़ न करने तथा विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने से भारत अपनी अस्मिता पेटेंट कानून के माध्यम से विदेशी हाथों में देने को उतारू है। दूसरी और पेटेंट कानून द्वारा अमरीका भारत को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास शुरू कर चुका है।

'सोने की चिड़िया' भारत पर सदैव सम्पूर्ण विश्व की आंखें लगी रहती हैं। ब्रिटेन के बाद अब अमरीका भी भारत को अपना 'उपनिवेश' बनाने की फिराक में लगा है। अगर हम सजग न हुए तो ऐसा न हो जाए कि भारतीय वृक्षों का पेटेंट अमरीका के पास चला जाए और हमें अपनी ही सम्पदा के लिए दूसरों की स्वीकृति लेनी पड़े, उसके लिए मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा वो अलग।

(स्रोत फीचर्स)